



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी, 2021

पौष 17, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 01/2021/1404/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)-2020

लखनऊ, 7 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-2

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अधिसूचना संख्या 12/2020/1245/94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)-2020, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

उक्त अधिसूचना के प्रस्तर 2 (ख) में, शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" के पश्चात शब्द " अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त, उद्योग" बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 01/2021/1404/94-Sta. ni.-2-2020-700(19)-2020, dated January 7, 2021, for general information:

No. 01/2021/1404/94-Sta. ni.-2-2020-700(19)-2020

*Dated Lucknow, January 7, 2021*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to make the following amendment in the notification no. 12/2020/1245/94-Sta. ni.-2-2020-700(19)-2020, dated November 12, 2020. from the date of publication of this notification in the *Gazette*:-

AMENDMENT

In para 2 (b) of the said notification, after words "the district magistrate", words " or the General Manager, District Industries Center/Deputy Commissioner Industries with the approval of District Magistrate" shall be *inserted*.

By order,

VEENA KUMARI,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 624 राजपत्र-2021-(1246)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० स्टा० एवं रजि०-2021-(1247)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।